न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः—डॉ0 अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या 379/2025

श्री असगर अली पुत्र श्री छोटू खां, निवासी निराधनूं, तहसील मलसीसर, जिला झुंझुनूं।

——प्रार्थी

बनाम

जिला रसद अधिकारी, झुंझुनूं।

——अप्रार्थी

——

आवेदन पत्र बाबत राज0 उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर के निर्णय की पालना बाबत।

——

उपस्थितः—

1. प्रार्थी स्वयं उपस्थित।
2. श्री विकास कुमार, विभागीय प्रतिनिधि— अप्रार्थी की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक 12.09.2025

आवेदक की ओर से आवेदन पत्र माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 18.08.2025 में दिये निर्देशों की पालना में निम्न प्रकार पेश किया है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 18.08.2025 मे दिये गये निर्देशों की पालना मे आपके समक्ष प्रस्तुत है। प्राथी ब्लॉक अलसीसर के निराधनूं ग्राम मे राशन की दुकान संचालित करते है। प्रार्थी असगर अली पुत्र छोटू खां की दुकान पर एनएफएसए के राशन कार्डो की कुल संख्या 610 व कुल यूनिट 2475 है। माननीय न्यायालय से बडी विनम्रतापूर्वक आग्रह है कि उक्त नवसृजित दुकान के लिए जारी किया गया विज्ञापन खाद्य विभाग द्वारा जारी नीति का स्पष्ट रूप से उल्लघंन है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के पत्र कमांक एफ 17/खा0वि0/विधि/2008 दिनांक 07.04.2010 मे यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि प्रत्येक राशन की दुकान पर 500 राशन कार्ड एनएफएसए के उनकी यूनिट 2000 होनी चाहिए। माननीय न्यायालय से प्रार्थीगण के विनम्र निवेदन है कि वर्तमान मे खाद्य विभाग का गिव अप अभियान भी चल रहा है जिसके चलते राशन कार्डो व यूनिटों की संख्या और कम होने की संभावना है। माननीय न्यायालय जिला कलक्टर (रसद) से विनयपूर्वक निवेदन है कि निराधनूं ग्राम मे पहले से संचालित दुकान उचित मूल्य दुकान पर निर्धारित कार्डों की संख्या से कम कार्ड व कम यूनिट है। ऐसे मे ग्राम निराधनूं मे नियमों की अनदेखी कर एवं नवसृजिक दुकान खोला जाना जिला रसद कार्यालय, झुंझुनूं का मनमाना व अन्यायपपूर्ण निर्णय है। खाद्य विभाग को सभी नितियां, नियम, दिशा निर्देश आदि नवसृजित दुकान (निराधनूं) मे नही खोले जाने के पक्ष मे है। विवाहित लडकियों के नाम व मृतकों के नाम (यूनिट) नही हटाई गई है। अतः श्रीमान्जी की सेवामे प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं से विनम्र आग्रह है कि निराधनूं गांव के लिए जारी नवसृजित दुकान की विज्ञप्ति को निरस्त करने का आदेश प्रदान कर प्रार्थी को राहत प्रदान करे।

प्रकरण मे जिला रसद अधिकारी, झुंझुनूं ने पत्रांक अभियोग/रसद/2025/897 दिनांक 10.09.2025 द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत कर अवगत कराया कि सी0बी0 सिविल रिट पीटिशन संख्या 10835/2025 असगर अली बनाम राजस्थान सरकार की तथ्यात्मक रिपोर्ट निम्न प्रकार सादर प्रेषित है कि प्रवर्तन निरीक्षक, मलसीसर की जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त ग्राम निराधनूं मे खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत लगभग 676 परिवार (राशन कार्ड) तथा 2739 यूनिट है।

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुये कथन किया कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 18.08.2025 मे दिये गये निर्देशों की पालना मे आपके समक्ष प्रस्तुत है। प्राथी ब्लॉक•अलसीसर के निराधनूं ग्राम मे राशन की दुकान संचालित करते है। प्रार्थी असगर अली पुत्र छोटू खां की दुकान पर एनएफएसए के राशन कार्डो की कुल संख्या 610 व कुल यूनिट 2475 है। माननीय न्यायालय से बडी विनम्रतापूर्वक आग्रह है कि उक्त नवसृजित दुकान के लिए जारी किया गया विज्ञापन खाद्य विभाग द्वारा जारी नीति का स्पष्ट रूप से उल्लघंन है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के पत्र कमांक एफ 17/खा0वि0/विधि/2008 दिनांक 07.04.2010 मे यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि प्रत्येक राशन की दुकान पर 500 राशन कार्ड एनएफएसए के उनकी यूनिट 2000 होनी चाहिए। माननीय न्यायालय से प्रार्थीगण के विनम्र निवेदन है कि वर्तमान मे खाद्य विभाग का गिव अप अभियान भी चल रहा है जिसके चलते राशन कार्डो व यूनिटों की संख्या और कम होने की संभावना है। माननीय न्यायालय जिला कलक्टर (रसद) से विनयपूर्वक निवेदन है कि निराधनूं ग्राम मे पहले से संचालित दुकान उचित मूल्य दुकान पर निर्धारित कार्डों की संख्या से कम कार्ड व कम यूनिट है। ऐसे मे ग्राम निराधनूं मे नियमों की अनदेखी कर एवं नवसृजिक दुकान खोला जाना जिला रसद कार्यालय, झुंझुनूं का मनमाना व अन्यायपपूर्ण निर्णय है। खाद्य विभाग को सभी नितियां, नियम, दिशा निर्देश आदि नवसृजित दुकान निराधनूं मे नही खोले जाने के पक्ष मे है। विवाहित लडकियों के नाम व मृतकों के नाम (यूनिट) नही हटाई गई है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर निराधनूं गांव के लिए जारी नवसृजित दुकान की विज्ञप्ति को निरस्त करने का आदेश प्रदान कर प्रार्थी को राहत प्रदान करे।

हमने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व जिला रसद अधिकारी, झुंझुनूं द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया। तथ्यात्मक रिपोर्ट से साफ जाहिर है कि ग्राम निराधनूं स्थित उक्त दुकान पर खाद्य सुरक्षा राशन कार्ड की संख्या कमशः 646 व यूनिट 2739 है। विभागीय आदेश कमांक एफ 17(9)खा0वि0/विधि/2012 दिनांक 26.12.2019 व 17(1)खा0वि0/विधि/2008 दिनांक 07.04.2010 के अनुशरण मे 500 राशन कार्ड/2000 यूनिट पर अतिरिक्त दुकान के प्रावधान जारी है। उक्त दुकान पर राशन कार्ड व यूनिटों की संख्या निर्धारित संख्या से भी कम है। प्रकरण मे नियमानुसार अंतिरिक्त राशन की दुकान सृजित किया जाना उचित नही है। ऐसी स्थिति मे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम निराधनूं स्थित उचित मूल्य दुकान श्री असगर अली को यथावत रखे जाने व अतिरिक्त दुकान नही सृजित करने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी झुंझुनूं को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 12.09.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 अरूण गर्ग)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुंझुनूं